UPMZ010069872026

न्यायालय Addl.Distt and Sess. Judge Court No-4/Special Judge (E.C. Act), Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (Anurag Panwar), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02638

वाद संख्या–2454 / 2026

राज्य बनाम हरि सिंह

मु0अ0सं0–233 / 2023,
धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम 2003,
थाना–एंटी पावर थैफ्ट, जिला–मुजफ्फरनगर।

20–06–2026

निस्तारण प्रार्थना–पत्र

आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत मामले में प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त ने विद्युत विभाग का शमन–शुल्क व राजस्व निर्धारण धनराशि जमा कर दी है, कोई बकाया नहीं रहा है, शमन–पत्र संलग्न है। उपरोक्त आधार पर वाद का निस्तारण करने की प्रार्थना की गयी है।

विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि अभि0 ने विद्युत विभाग में राजस्व निर्धारण व शमन धनराशि जमा करके शमन–पत्र प्राप्त कर लिया है, शमन–पत्र सत्यापित, शमन–पत्र के आधार पर वाद को निस्तारित करने की कृपा करें।

विद्युत विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा शमन–पत्र कागज संख्या–12क / 3 उपरोक्त के सम्बन्ध में जारी किया है, जिसमें कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वांछित शमन धनराशि मय बकाया राशि जमा कर दिया है। शमन–पत्र के आधार पर वाद को निस्तारित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड–जानसठ, मुजफ्फरनगर द्वारा उपरोक्त शमन–पत्र जारी किया गया है, जो पत्रावली पर संलग्न है। उक्त शमन–पत्र के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत अपराध को समाप्त कर मामले को धारा–152(3) विद्युत अधिनियम के अनुसार दं0प्र0सं0 की धारा–300 के अन्तर्गत दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

अतः वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियुक्त द्वारा शमन एवं निर्धारण धनराशि जमा कर, शमन प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया है। इसलिए अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग चलाये जाने की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम के मामले में दाखिल प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः प्रस्तुत वाद में विद्युत अधिनियम की धारा–152(3) के अन्तर्गत अभियुक्त अन्तर्गत धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त हरि सिंह को धारा–152(3) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत प्रशमन होने पर धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम शमन प्रमाण–पत्र के आधार पर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अनुराग पंवार)
ID: UP 2638

दिनांकः 20–06–2026

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–4 /
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
मुजफ्फरनगर।

Digitally signed by ANURAG PANWAR
Date: 2026.06.20 16:52:16 IST
Reason: Order
Location: A.S.J. Court No.4/Spl. Judge (E.C. Act), Mzn